



जन आधार

जन आधार

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: एफ17(9)13/रा.ज.आ.प्रा./HOD/लेखा/2021-22/2412

दिनांक 23-10-2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1181 दिनांक 14.09.2021 द्वारा शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर को विभागाध्यक्ष के समकक्ष की शक्तियाँ प्रदान की गयी थी।

उक्त आदेश के अतिक्रमण में निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर को विभागाध्यक्ष के समकक्ष की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

यह आदेश मुख्य सचिव, राजस्थान एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण से अनुमोदित है।

(अनुपमा जोरवाल)

विशिष्ट शासन सचिव, आयोजना एवं
महानिदेशक, राजस्थान जन आधार
प्राधिकरण

क्रमांक: एफ17(9)13/रा.ज.आ.प्रा./HOD/लेखा/2021-22/2413-20 दिनांक 23-10-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. विशेषाधिकारी, कार्यालय मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक, रा.ज.आ.प्रा.
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-2) विभाग, सचिवालय, राजस्थान।
4. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव तथा अति. पदेन महानिदेशक, रा.ज.आ.प्रा.।
6. निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण/आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
8. रक्षिता पत्रावली।

Document certified by Anupama Jorwal
<anupamajorwal@gmail.com>

Digitally Signed by Anupama
Jorwal
Designation: Special Secretary To
Government
Date: 22-10-2024 05:04:54